22/12/25

पक्ष. पेश की गयी एवं वकील गयी अनु. चूंकि दावा वादी अक्ष हाजिरी अक्ष पेशी में खारिज किया जा चुका है अतः प्रा.पत्र 212 आदेश 9 का बाद औचित्य शेष नहीं रह पाता है। प्रा.पत्र खारिज पर खारिज किया जाता है।

पत्रा. पेश मुमकिन हो, नकल के एक हेतु दाखिल करावें।

सहायक कलक्टर
तहबई जिला भरतपुर